न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –44 / 2022

संत चौकसराम मुनि गुरू जसराम जी रामस्नेही रामद्वारा भैंसरोड़गढ़, उम्र 99 वर्ष, मो. 9413732106 जरिये पावर ऑफ अटार्नी होल्डर भूपेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री शिवशंकर जी पुरोहित, उम्र 41 वर्ष, पेशा वकालात, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा।

.................वादी

बनाम

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम .

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री पराग त्रिपाठी, भूपेन्द्र पुरोहित।
अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक – 13.11.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 209 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय का पेश किया है कि मुझ वादी बड़ा रामद्वारा भैंसरोड़गढ़ के नाम ग्राम अरेणाकलां, प0ह0 राजपुरा में कृषि आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2027–30 से लगातार संवत् 2051–54 में खसरा संख्या 12 रकबा 1.31 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 51 रकबा 0.62 हैक्टेयर दान से दर्ज रिकॉर्ड थी जिसके सेटलमेंट के पशत गत खसरा नम्बर 12 के वर्तमान नम्बर 72 रकबा 1.31 हैक्टेयर बिलानाम तथा गत खसरा नम्बर 51 के वर्तमान नम्बर क्रमशः 209 रकबा 0.15 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 262 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज है। खसरा नम्बर 72 पर वादी अपने सेवक से लगातार 52 वर्षो से काश्त करवा रहे है तथा खसरा नम्बर 262, 209 पर वर्तमान में आम रास्ता एवं ग्राम अरेणाकलां की आाबादी बसी हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी गत नम्बर 12, रकबा 1.31 हैक्टेयर जिसके वर्तमान नम्बर 72 रकबा 1.31 हैक्टेयर पर वादी काफी वर्षो से काविज हो काश्त करवा रहे है, वादी का लगातार एडवर्स पजेशन है आराजी बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड होने से खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। मैं वादी रामद्वारा भैंसरोड़गढ़ का गाधीधर हूँ। अंत में वादी ने ग्राम अरेणाकलां, प0ह0 राजपुरा, तहसील रावतभाटा की वर्तमान जमाबन्दी की खसरा संख्या 72 रकबा 1.31 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार रावतभाटा को अमल दरामद के आदेश प्रदान [illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो जवाब दावा प्रस्तुत किया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार ग्राम अरेणाकलां प0ह0 राजपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 01 आराजी संख्या 72 रकबा 1.31है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 262 रकवा 0.11है0 भूमि गै0मु0 सडक तथा आराजी संख्या 209 रकवा 0.15है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम अरेणाकलां की आराजी संख्या 72 रकवा 1.31है0 भूमि पर चौकसराम मुनी गुरू जसराम जी रामस्नेही रामद्वारा का कब्जा होकर उक्त भूमि को धामलाल पिता नाराण भील निवासी बडला का खेडा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

ठेके पर दे रखी है। आराजी संख्या 72 रकबा 1.31है0 भूमि पर धामलाल पिता नाराण निवासी बडला का खेडा द्वारा वर्तमान फसल मक्का की बुआई कर रखी है।

प्रकरण में वाद पत्र के आधार पर पेरोकार सरकार द्वारा वादी का कब्जा होने का निवेदन किया है, इस कारण वाद बिन्दू कायम नहीं किये गये। साक्ष्य के रूप में वादी ने भूपेन्द्र कुमार पुरोहित, पुष्पेन्द्र कुमार पुरोहित,रामेश्वर लाल धाकड, श्यामलाल,पुष्पेन्द्र सिंह आदि ने शपथ पत्र प्रस्तुत किए। भूपेन्द्र पुरोहित द्वारा शपथ पत्र के कथन को दोहराते हुए पत्रावली मे शामिल दस्तावेजों में मिशल बंदोबश्त प्रदर्श–1, जमाबंदी 2027–29 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2051–54 प्रदर्श–3, नामान्तकरण संख्या 36 प्रदर्श–4, नामान्तरण संख्यास 172 प्रदर्श–5, तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय पर्चा मौका प्रदर्श–6 आदि दस्तावेजों को प्रदर्श कराए।

हमने वाद पत्र पर वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादी के गुरू जी श्री जसराम जी रामस्नेही बडा रामद्वारा भैंसरोडगढ के नाम ग्राम अरेणाकलां पटवार हल्का राजपुरा तहसील रावतभाटा में कृषि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2027–30 से लगातार संवत 2051–54 मे खसरा संख्या 12 रकबा 1.31है0 खसरा संख्या 51 रकबा 0.62है0 भैंसरोडगढ ठिकानेदार हिम्मतसिंह जी पिता इन्द्रसिंह द्वारा रामस्नेही संप्रदाय के बडे रामद्वारा भैंसरोडगढ में दान दी गयी थी। दान से आराजी रामद्वारा भैंसरोडगढ के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा ऋषि परम्परा अनुसार गुरू महाराज देवलोक के पश्चात रामस्नेही परम्परा अनुसार मुझे साधु संतों की मौजुदगी मे गुरू महाराज की चादर ओढाई गई थी तब से ही में बडा रामद्वारा भैंसरोडगढ का गाधीधर हूं तथा रामद्वारा की आराजी की देखरेख सेवकों से करता रहा हूं, सेटलमेंट के पश्चात आराजी बिलानाम दर्ज रिकार्ड हो गयी। सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 12 के वर्तमान नम्बर 72 रकबा 1.31है0 तथा खसरा संख्या 51 के वर्तमान नम्बर 209 रकबा 0.15है0 व 262 रकबा 0.11है0 कुल 0.26है0 वर्तमान में बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। गत नम्बर 12 के वर्तमान नम्बर 72 पर वादी अपने सेवकों से लगातार करीब 52 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करवा रहे है तथा वर्तमान नम्बर 262, 209 पर आम रास्ता व अरेणाकलां की आबादी बसी हुई है। वादी संत चोकसराम मुनी गुरू जसरामजी रामस्नेही रामद्वारा भैंसरोडगढ में गाधीधर हूं तथा गत खसरा 12 से लगातार व वर्तमान नम्बर 72 पर काबिज हो, आराजी को काश्त योग्य बनवायी तथा सेवकों से काश्त करवाई है, वादी का लगातार एडवर्स पजेशन है। पटवार हल्का राजपुरा द्वारा पत्रावली में मौजुद पर्चा मौका में भी पटवारी जी द्वारा उक्त भूमि आराजी संख्या 72 रकबा 1.31है0 भूमि पर कब्जा मुझ चौकसराम मुनी गुरूजसराम जी रामस्नेही रामद्वारा का बताया गया है, तहसीलदार जी के जवाब अनुसार भी वादी का वाद प्रमाणित हो रहा है हमारे द्वारा आराजी ठेके पर काश्त हेतु धामलाल पिता नाराण भील को दी हुई है तथा तहसीलदार जी रिपोर्ट 864/2022 दिनांक [illegible].09.2022 पत्रावली में मौजुद है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त वर्णित आराजी [illegible] हमारा [illegible] है। ठिकानेदार भैंसरोडगढ द्वारा दान विलेख के बाद से ही आराजी पर लगातार काबिज हो काश्त करवायी जा रही है। अंत में लिखित बहस रिकार्ड पर ली जाकर वादी संत चौकसराम मुनी गुरू जसरामजी रामस्नेही रामद्वारा भैंसरोडगढ को ग्राम अरेणाकलां पटवार हल्का राजपुरा की वर्तमान खसरा संख्या 72 रकबा 1.31है0 का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं एवं पत्रावली में शामिल दस्तोवजों का अवालोकन किया गया। प्रार्थी वकील पक्ष के विद्वान अभिभाषक की वाद पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा–88 रा.टी.ए. के अवलोकन से वाद पत्र खातेदारी की घोषणा से संबंधित होना पाया जाता है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों में जमाबंदी एवं नामान्तरकरण पंजिका ग्राम अरेणाकलां प0ह0 राजपुरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी की भूमि सिलिंग अधिग्रहण से बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड होकर कब्जे सरकार ली गयी थी। उक्त प्रकरण सिलिंग अधिनियम से संबंधित होकर हज न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं आता है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधिविरूद्ध न्यायालय में पेश हुआ है जो चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र ग्राम अरेणाकलां प0ह0 राजपुरा की आराजी संख्या 72 रकबा 1.31है0 का खातेदारी की घोषणा का है, जबकि उक्त प्रकरण अपीलीय प्रकरण होना प्रतित होता है, जिससे हज न्यायालय का श्रवणाधिकार में नहीं है तथा वाद पत्र विधिविरूद्ध पेश होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा
ज़िला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested